न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
165/2024	15/10/2024	21/04/2025

1. फैलीराम पुत्र शंकरलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सरजोली तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1. कजोडमल पुत्र छोटूराम
2. कालूराम पुत्र छोटूराम
3. गणेशी पत्नि छोटूराम
4. प्रहलाद पुत्र छोटूराम
5. रामूलाल पुत्र छोटूराम
6. बाछूराम उर्फ बाबूलाल पुत्र शंकरलाल
7. लादी पत्नि शंकरलाल
8. श्रवणलाल पुत्र शंकरलाल
9. सरदार पुत्र शंकरलाल
   समस्त जाति गुर्जर समस्त निवासी ग्राम सरजोली तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिए उप पंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक

श्री पुष्पेन्द्र शर्मा :— वकील वादी।

श्री किशन लाल :— वकील प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5

श्री शंशाक चतुर्वेदी :— वकील प्रतिवादी सं0 6 लगायत 9

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा—53, 188 आर0टी0एक्ट

—: निर्णय :—

वादी की ओर से एड0 श्री पुष्पेन्द्र शर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 87 रकबा 0.0200है0, खसरा नम्बर 88 रकबा 0.0200है0, खसरा नम्बर 89 रकबा 1.5700है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.6100है0 स्थित ग्राम सरजोली, पटवार हल्का नेवर, तहसील आंधी, जिला जयपुर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार है। जिसे आगे उक्त वादपत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति कहा गया है। जिसका विधिक तकासमा नही कराया गया है। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति का सरस—नरस के अनुसार हक व हिस्से को मध्य नजर रखते हुये तकासमा कर वादी का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 28.11.2024 को प्राथमिक डिकी किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार आंधी ने कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर

वकील प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 ने आपत्ति कुर्रेजात पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील वादी ने आपत्ति कुर्रेजात पर जवाब पेश कर बहस की। वकील उभय पक्षों की बहस आपत्ति कुर्रेजात पर सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन कर आपत्ति कुर्रेजात खारिज की गई। पत्रावली में प्राप्त कुर्रेजात को स्वीकार किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार आंधी के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार आंधी ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम सरजोली, पटवार हल्का नेवर, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :—

ता ख्या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
52	कजोडमल पुत्र छोटूराम हि0 1/10 जाति गुर्जर सा0देह, कालूराम पुत्र छोटूराम हि0 1/10 जाति गुर्जर सा0देह, गणेशी पत्नि छोटूराम हि0 1/10, प्रहलाद पुत्र छोटूराम हि0 1/10, फैलीराम पुत्र शंकरलाल हि0 1/20, बाछूराम उर्फ बाबूलाल पुत्र शंकरलाल हि0 1/20, रामूलाल पुत्र छोटूराम हि0 1/10 राहिन हि0 1/10 (पूर्ण खाता) बैक ऑफ इंडिया शाखा कानोता, लादी पत्नी शंकरलाल हि0 3/10 राहिन हि0 3/10 (पूर्ण खाता) बैक ऑफ इंडिया शाखा बस्सी, श्रवणलाल पुत्र शंकरलाल हि0 1/20, सरदार पुत्र शंकरलाल हि0 1/20 समस्त जाति गुर्जर सा0देह खातेदार ।	87 88 89	0.0200 0.0200 1.5700	गै.मु. झेरा गै.मु.चाह चाही 3	—
	योग	किता 3	1.6100	—	—

—: प्रस्तावित :—

0 सं0	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
1	फैलीराम पुत्र शंकरलाल हि0 1/10, बाछूराम उर्फ बाबूलाल पि0 शंकरलाल हि0 1/10, श्रवणलाल पि0 शंकरलाल हि0 1/10, सरदार पि0 शंकरलाल हि0 1/10, लादी पत्नि शंकरलाल हि0 6/10 राहिन हि0 (पूर्ण खाता) स्टेट बैक ऑफ इंडिया शाखा बस्सी, समस्त जाति गुर्जर, सा0देह खातेदार।	89 87	0.7750 0.0200	चाही 3 गै.मु.झेरा	—
	योग	किता 2	0.7950	—	—
2	कजोडमल पि छोटूराम हि0 1/5, कालूराम पि0 छोटूराम हि0 1/5, प्रहलाद पि0 छोटूराम हिव 1/5, गणेशी पत्नि छोटूराम हि0 1/5, रामूलाल पि0 छोटूराम हि0 1/5 राहिन हि0 (पूर्ण खाता) बैक ऑफ इंडिया	89/1	0.7950	चाही	—

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-जयपुर

	शाखा कानोता समस्त जाति गुर्जर सा0देह खातेदार।				
	योग	किता 1	0.7950	—	—
3.	शामलाती	88	0.0200	गै.मु.चाह	—
	योग	किता 1	0.0100	—	—

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 21/04/2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर